70

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण कमांक : तीन–निगरानी/मुरैना/भू.रा./2017/2579 – विरूद्ध आदेश दिनांक 7–7–2017 – पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, मुरैना – प्र0क0 17/2011–12 अपील

महिला श्यामवती पत्नि लाखन सिंह
निवासी माधोपुरा गली नंबर–7 गल्ला
मण्डी के वगल से तहसील व जिला मुरैना
कृषक ग्राम बसई हरचरन तहसील मुरैना ---आवेदिका

विरूद्ध

1– सोबरन सिंह पुत्र महाराज सिंह
2– रघुनाथ सिंह पुत्र महाराज सिंह
3– गोपी सिंह पुत्र भगवान सिंह
सभी ग्राम मुकन्दी का पुरा
मौजा गजरामपुर तहसील व जिला मुरैना ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री एन0डी0शर्मा)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री बिनोद श्रीवास्तव)

आ दे श
(आज दिनांक 10 – 7 –2018 को पारित)

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 17/2011–12 अपील में पारित आदेश दिनांक 7–7–2017 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदिका ने तहसीलदार मुरैना को आवेदन प्रस्तुत कर मांग की कि ग्राम बसई हरचंद स्थित भूमि सर्वे कमांक 606, 607, 608, 609, 610, 611 कुल किता 7 कुल रकबा 12 वीघा 13 विसवा

(आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया है) पर वह खेती करती आ रही है एंव भूमिहीन है, इसलिये भूमि को उसके नाम आवंटित किया जावे। तहसीलदार मुरैना ने प्रकरण कमांक 25 अ 19/1995-96 पॅजीबद्व किया एंव आवेदिका की सुनवाई कर आदेश दिनॉक 15-12-1995 पारित किया तथा वादग्रस्त भूमि का बन्टन आवेदिका के हित में कर दिया। तहसीलदार मुरैना के आदेश दिनॉक 15-12-1995 के विरूद्व अनावेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी, मुरैना के समक्ष दिनॉक 28-11-2011 को अपील प्रस्तुत की तथा अवधि विधान की धारा-5 का आवेदन प्रस्तुत किया। अनुविभागीय अधिकारी मुरैना ने पक्षकारों को सुनकर प्रकरण कमांक 17/11-12 अपील में अंतरिम आदेश दिनॉक 7-7-2017 पारित किया तथा अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन को स्वीकार किया। अनुविभागीय अधिकारी मुरैना के इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदिका के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि तहसीलदार मुरैना के आदेश दिनॉक 15-12-1995 के विरूद्व अनावेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी, मुरैना के समक्ष दिनॉक 28-11-2011 को अर्थात 16 वर्ष वाद अपील प्रस्तुत की है जो बेरूम्याद है जबकि आवेदिका एंव अनावेदक नजदीकी कृषक है एंव आदेश दिनॉक 15-12-1995 से भूमि आवंटित होने के उपरांत से आवेदिका ने खेती उन्नत करने के लिये ट्यूव वैल लगवाया है एंव उसीमें रिहायशी मकान बनवाया है खेतों पर बंधिया डलवायी है जिससे अनावेदकगण को भूमि बन्टन की जानकारी उसी समय से रही है किन्तु गॉव में चुनावी रंजिस होने के कारण आवेदिका को परेशान करने के लिये 16 वर्ष वाद अपील प्रस्तुत की है परन्तु अनुविभागीय अधिकारी ने जानबूझकर विलम्ब क्षमा करने में भूल की है।

अनावेदकगण के अभिभाषक का तर्क है कि भूमि बन्टन के पूर्व तहसीलदार मुरैना ने आवेदकगण को व्यक्तिगत सूचना जारी नहीं की है विधिवत् विज्ञप्ति का प्रकाशन भी नहीं हुआ है वादग्रस्त भूमि पर आज भी अनावेदकगण का कब्जा है जब 2-11-11 को आवेदिका ने अनावेदकगण को पटटा करा लेने की एंव कब्जा छोड़ने की धोंस दी, तब अनावेदकगण सजग हुये और पटटे की जानकारी प्राप्त करने के वाद एस.डी.ओ. के समक्ष अपील की है अनुविभागीय अधिकारी ने विलम्ब ठीक ही क्षमा किया है । अनावेदकगण के अभिभाषक ने निगरानी व्यर्थ करना बताते हुये निरस्त करने की ।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अनुविभागीय अधिकारी मुरैना के अपील प्रकरण क्रमांक 17/2011–12 के अवलोकन से यह सही है कि तहसीलदार मुरैना के आदेश दिनॉक 15–12–1995 के विरूद्ध अनावेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी, मुरैना के समक्ष दिनॉक 28–11–2011 को अपील प्रस्तुत की है जो 16 वर्ष से अधिक विलम्ब से है। राजस्व पुस्तक परिपत्र ,चार–3 में शासकीय भूमि के बन्टन पर ग्रामीणों को व्यक्तिगत नोटिस दिये जाने का प्रावधान नहीं है अपितु सार्वजनिक जानकारी के उद्धेश्य से उद्घोषणा जारी किये जाने का प्रावधान है। तहसीलदार मुरैना के प्रकरण क्रमांक 25 अ 19/1995–96 में पृष्ठ 3 पर जारी की गई उद्घोषणा का प्रपत्र संलग्न है जो फार्म 'अ' कंडिका 7 के नियत प्रारूप पर है। उद्घोषणा के पीठ पृष्ठ के अवलोकन से परिलक्षित है कि उद्घोषणा की एक प्रति तहसील के नोटिस बोर्ड पर, एक प्रति ग्राम बसई हरिचन्द्र की आम चौपाल पर 29–10–95 को चस्पा कराई गई है एंव एक प्रति ग्राम पंचायत भवन पर चस्पा करवाई गई है तथा तामील कुनिन्दा ने तामीली उपरांत दिनांक 30–10–95 को उद्घोषणा की प्रति वापिस की है। स्पष्ट है कि उद्घोषणा का सम्यक प्रकाशन हुआ है जिसके कारण अनावेदकगण के अभिभाषक व्दारा उद्घोषणा के संबंध में उठाई गई आपत्ति माने जाने योग्य नहीं है।

6/ आवेदिका के अभिभाषक व्दारा उठाई गई आपत्ति के क्रम में अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष 16 वर्ष के विलम्ब से की गई अपील प्रस्तुत होने के बिन्दु पर विचार करने पर स्थिति यह है कि :–

1. **काशीराम विरूद्ध हरीराम 2008 (1) M.P.L.J. 282 M.P. = 2008 (1) M.P. H.T. 170 का न्याय दृष्टांत है कि याची व्दारा 2 हैक्टर भूमि आवन्टन में प्राप्त कर भूमिस्वामी स्वत्व प्राप्त किया – 13–14 वर्ष व्यतीत हो जाने पर याचिका स्वीकार की गई। अभिमत दिया गया कि प्रत्यर्थी को पुनरीक्षण का अधिकार प्राप्त नहीं था। उन्हें सुना जाकर निर्णय देने में त्रृटि की गई है।**
2. **स्टेट आफ एम0पी0 विरूद्ध सवजीराम 1995 (2) म0प्र0वीकली नोट 193 का न्याय दृष्टात है कि – भू राजस्व संहिता 1959 (म0प्र0) एंव परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5– अनुचित विलम्ब को क्षमा करके एक पक्षकार को लाभ देते हुये द्वित्तीय पक्षकार को प्रोद्भूत मूल्यवान अधिकार को विनष्ट नहीं किया जा सकता।**
3. **रामलाल बनाम कोल फील्डस लिमि0 1962 म0प्र0लॉ जन0 602 एंव बीतारानी बनाम भगवतीवाई 2006 (2) म0प्र0लॉ जन0 45 (म0प्र0) के न्याय दृष्टांत हैं कि अपील फाइल करने की अवधि का अवसान हो गया था, इस अवधि के**

अवसान होने के आधार पर प्रत्यर्थी के पक्ष में पूर्व में ही मूल्यवान अधिकार उत्पन्न हो गया था और ऐसी स्थिति में मान. उच्चतम न्यायालय का यह अभिमत रहा है कि इस मूल्यवान अधिकार में आधारहीन अथवा अस्पष्ट आधार पर हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता।

स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी मुरैना का अंतरिम आदेश दिनॉक 7-7-2017 दोषपूर्ण है जिसके द्वारा 16 वर्ष के अतिविलम्ब को क्षमा करने में भूल की गई है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 17/2011-12 अपील में पारित आदेश दिनांक 7-7-2017 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एंव निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर